R-3530-I/12

न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

मोहनसिंह उम्र करीबन 24 साल आ0 श्री बडडेलाल पुविया
जाति पुविया, कस्तकार ग्राम नकटुआ, तह–सोहागपुर एवं निवासी
हल निवास कृष्णा नगर भोपाल तहसील व जिला भोपाल म0प्र0

.....आवेदक/याचिकाकर्ता

//विरूद्ध//

1. केशरीसिंह पुर्विया उम्र करीबन 55 वर्ष आ0 हल्केभैया पुर्विया
कास्तकार ग्राम नकटुआ, एवं निवासी ग्राम बन्दीछोड पिपरिया
तह–सोहागपुर, जिला–होशंगाबाद म0प्र0
2. श्रीमति शांतिबाई पुर्विया पत्नि स्व. कमलसिंह पुर्विया
कास्तकार ग्राम नकटुआ, एवं निवासी ग्राम बन्दीछोड
पिपरिया तह–सोहागपुर, जिला–होशंगाबाद म0प्र0
3. सुन्दरलाल कहार आ0 धानीराम कहार उम्र 50 वर्ष
निवासी आयुष नगर इटारसी, तह–इटारसी, जिला
होशंगाबाद म0प्र0
4. श्रीमति रामसियाबाई उम्र करीबन 35 वर्ष पत्नि रामसिंह पुर्विया
निवासी एवं कास्तकार ग्राम नकटुआ, तह–सोहागपुर,
जिला–होशंगाबाद म0प्र0

.....अनावेदक/उत्तरवादीगण

//निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0स0//

याचिकाकर्ता/आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी याचिका अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार सोहागपुर, जिला–होशंगाबाद के द्वारा रा0प्र0क0 16 अ–6 वर्ष 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 05.03.12 के आधार पर दर्ज संसोधन पंजी कं–13 आदेश दिनांक 22.03.12 के विरूद्ध प्रस्तुत कर रहा है, उक्त अवैधानिक एवं अनियमित तथा कानूनी प्रकिया के विरूद्ध पारित संसोधन के आधार पर उसके निजी स्वमित्व की भूमियों का ख0नं0–195/4 रकवा 0.405 हे0, ख0नं0–289/3 रकवा 0.454, ख0नं0–306 रकवा 0.875 कुल रकवा 1.734 हे0 का अवैध नामांतरण कर उक्त भूमियां अनावेदक कं 3 व 4 को गैर कानूनी तरीके से विक्रय की जाने और उक्त विक्रय पत्रों के अवैध नामांतरण संसोधन क्रमांक 22 आदेश दिनांक 30/02/12 ग्राम नकटुआको निरस्त कराने और विवादित्य भूमियों को अपने नाम पर राजस्व अभिलेखों में पुनः दर्ज कराने वाबत् प्रस्तुत कर रहा है।

Mohan

निरं....2.....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 3530–एक / 12 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–6–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय की पंजी कमांक 13 पर पारित नामांतरण आदेश दिनांक 22–3–2012 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–3–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी 11–10–2012 को 6 माह से भी अधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक की ओर से विलंब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत कारण दर्शाते हुये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । 1996 राजस्व निर्णय 257 जिला पंजीयक सहकारी बैंक मर्यादित विरूद्ध काशी प्रसाद गुप्ता में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है ।:– "धारा 5–विलंब की माफी के लिए आवेदन तथा शपथ पत्र फाइल नहीं किया गया–5 दिन का विलंब माफ नहीं किया जा सकता ।" इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से संशोधन पंजी कमांक 13 पर पारित आदेश दिनांक 22–3–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । संशोधन पंजी पर पारित आदेश अंतिम स्वरूप का होता	

है, जिसके विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । संहिता की धारा 50 के अंतर्गत अपील योग्य आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रतिबंधित है ।

2 उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के विपरीत अवधि बाह्य प्रस्तुत किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष